

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा
बिलासपुर, (छ.ग.)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक-01/2026

बिलासपुर, दिनांक-23.06.2026

ईशतहार

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर मुख्यालय बिलासपुर कैटिन, सायकल स्टैंड, फोटो कापियर मशीन एवं व्यवहार न्यायालय परिसर बिल्हा में कैटिन, सायकल स्टैंड, फोटो कापियर मशीन पब्लिक यूटीलिटी सर्विस के संचालन हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न-1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईड (<https://bilaspur.dcourts.gov.in>) में अपलोड किया गया है तथा जिला न्यायालय बिलासपुर/बिल्हा सिविल कोर्ट के नोटिस बोर्ड में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 30.06.2026 तक कार्यालय दिवस में **अध्यक्ष/सचिव**, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर स्थान जिला न्यायालय बिलासपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कैटिन, फोटो कापियर, सायकल स्टैंड एवं पब्लिक यूटीलिटी सर्विस हेतु पृथक-पृथक आवेदन देय होगा।

निविदा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.06.2026

समय शाम 5 बजे तक।

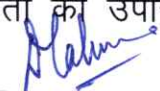
निविदा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 10.07.2026

समय शाम 5 बजे तक।

निविदा खोलने की संभावित तिथि 13.07.2026

समय शाम 5 बजे।

प्राप्त निविदा, संघ के अध्यक्ष एवं नियम-2017 व संशोधित नियम 2025 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में खोली जाएगी।


अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)

व्यवहार न्यायालय बिल्हा हेतु

अनुसंलग्नक- 1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।
2. निविदा के लिए समय सीमा 15 से 30 दिन के भीतर।
3. निविदा को नीचे दिए गए पते पर हमदस्त रूप से अंकित पते के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

अध्यक्ष

**छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
पिन नंबर- 495001**

4. सभी निविदाएं न्यूज़ पेपर में प्रकाशित निर्धारित अन्तिम तिथि के समय 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिए।
5. कंटेनर, सायकल स्टैंड, फोटो कापियर मशीन एवं पब्लिक यूटीलिटी सर्विस के संचालन हेतु प्राप्त पृथक-पृथक निविदा को कम से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम- 2017 नवीन संशोधित नियम 2025 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।
6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक-पृथक की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को कंटेनर, सायकल स्टैंड, फोटो कापियर मशीन संचालन एवं पब्लिक यूटीलिटी सर्विस की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए, उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।
7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला, शाखा बिलासपुर के नाम पर

होनी चाहिए। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसकी बोली को रद्द कर दिया जाएगा। उसे बोली की सम्पूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसके केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन व पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन के संचालन की पात्रता होगी।

8. केण्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि सम्भव हो तो उसकी दर बाजार दर से कम हो, यदि सम्भव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम में बेची होगी। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक नहीं बेची जाएगी। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान केण्टीन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स, पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होने चाहिए।

9. केण्टीन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रॉन, वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रख-रखाव जो कि जरूरी हो, वे सारे शुल्क केण्टीन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक व पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पर भी लागू होगा।

11. केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन एवं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक द्वारा लायसेंस शुल्क/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च अथवा टेण्डर जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रचलित होगी, इसके बाद किराया केण्टीन, साईकल स्टैण्ड, फोटोकापी मशीन व पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। केण्टीन साईकल स्टैण्ड, फोटोकापी मशीन व पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में समक्ष जमा करनी होगी। अगर केण्टीन, साईकल स्टैण्ड, फोटोकापी मशीन एवं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा केण्टीन, साईकल स्टैण्ड, फोटोकापी मशीन एवं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

12. फोटो कापियर मशीन का संचालन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय/प्रभारी अधिकारी नजारत के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराए गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता के द्वारा अपने स्वयं की फोटोकापी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त

फोटोकापी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।

13. व्यवहार न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा।

14. संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों की दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगी, जिसमें आने वाले पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

16. निविदाएं जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होंगे, उन्हें खोला नहीं जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किए जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

18. लाईसेंस शुल्क निर्धारण पश्चात् सिविल कोर्ट बिलासपुर हेतु केण्टीन हेतु न्यूनतम बोली राशि 14,000/- रु., सायकल स्टैण्ड हेतु 2500/- रु., फोटो कापियर मशीन एवं पब्लिक यूटीलिटी सर्विस संचालन हेतु 3500-3500/- रु. की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

नोट-1-केंटीन संचालक हेतु खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र/नगर निगम द्वारा गुमास्ता लाईसेंस होना आवश्यक है।

2- साईकल स्टैण्ड एवं फोटोकापी हेतु नगर पंचायत से रजिस्ट्रेशन/जीवित गुमास्ता होना आवश्यक है।

3- केंटीन एवं फोटोकापी सेंटर्स में बिजली का मीटर लगाया जावेगा, जिसका प्रतिमाह का भुगतान संचालक द्वारा किया जावेगा।



अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)

जिला बिलासपुर हेतु

अनुसंलग्नक- 1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।
2. निविदा के लिए समय सीमा 15 से 30 दिन के भीतर।
3. निविदा को नीचे दिए गए पते पर हमदस्त रूप से अंकित पते के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

अध्यक्ष

**छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
पिन नंबर- 495001**

4. सभी निविदाएं न्यूज़ पेपर में प्रकाशित निर्धारित अन्तिम तिथि के समय 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिए।
5. क्रेण्टीन, सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन के संचालन हेतु प्राप्त पृथक-पृथक निविदा को कम से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम- 2017 नवीन संशोधित नियम 2025 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।
6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक-पृथक की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को क्रेण्टीन, सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए, उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।
7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला, शाखा बिलासपुर के नाम पर होनी चाहिए। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसकी बोली को

रद्द कर दिया जाएगा। उसे बोली की सम्पूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसके केण्टीन, सायकल स्टेण्ड एवं फोटो कापियर मशीन व पब्लिक युटिलिटी सर्विस संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे केण्टीन, सायकल स्टेण्ड एवं फोटो कापियर मशीन के संचालन की पात्रता होगी।

8. केण्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि सम्भव हो तो उसकी दर बाजार दर से कम हो, यदि सम्भव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम में बेची होगी। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक नहीं बेची जाएगी। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान केण्टीन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स, पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होने चाहिए।

9. केण्टीन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रॉन, वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रख-रखाव जो कि जरूरी हो, वे सारे शुल्क केण्टीन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टेण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक व पब्लिक युटिलिटी सर्विस पर भी लागू होगा।

11. केण्टीन, सायकल स्टेण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालक द्वारा लायसेंस शुल्क/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च अथवा टेण्डर जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रचलित होगी, इसके बाद किराया केण्टीन, साइकल स्टेण्ड, फोटोकापी मशीन व पब्लिक युटिलिटी सर्विस की निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। केण्टीन साइकल स्टेण्ड, फोटोकापी मशीन व पब्लिक युटिलिटी सर्विस संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में समक्ष जमा करनी होगी। अगर केण्टीन, साइकल स्टेण्ड, फोटोकापी मशीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा केण्टीन, साइकल स्टेण्ड, फोटोकापी मशीन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टेण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

12. फोटो कापियर मशीन का संचालन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय/प्रभारी अधिकारी नजारत के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराए गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता के द्वारा अपने स्वयं की फोटोकापी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकापी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।

13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा।

14. संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों की दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगी, जिसमें आने वाले पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

16. निविदाएं जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होंगे, उन्हें खोला नहीं जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किए जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

18. लाईसेंस शुल्क निर्धारण पश्चात् सिविल कोर्ट बिलासपुर हेतु केण्टीन हेतु न्यूनतम बोली राशि 15,000/- रु., सायकल स्टैण्ड हेतु 15000/- रु., फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु 4000/- रु. की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

नोट-1-केंटीन संचालक हेतु खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र/नगर निगम द्वारा गुमास्ता लाईसेंस होना आवश्यक है।

2- साईकल स्टैण्ड एवं फोटोकापी हेतु नगर निगम से रजिस्ट्रेशन/जीवित गुमास्ता होना आवश्यक है।

3- केंटीन एवं फोटोकापी सेंटरों में बिजली का मीटर लगाया जावेगा, जिसका प्रतिमाह का भुगतान संचालक द्वारा किया जावेगा।



अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)